Conference on Key Child Rights Issues
Shahajapur District Level on 10-11-2025

दैनिक भास्कर शाजापुर 11-11-2025

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में दी अधिनियमों और नवाचारों की जानकारी

बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया

कार्यशाला के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि।

शाजापुर | स्थानीय गांधी हॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में आयोग की डिविजन हेड (बालश्रम) पायल शर्मा ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की जानकारी दी और बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कलेक्टर ऋजु बाफना ने कहा बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य आयोग के सहायक संचालक राहुल दुबे ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षित वातावरण पर प्रकाश डाला। एडवोकेट शुभांकर चौधरी ने बाल अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने जिले में बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मीना मंडलोई, श्रम पदाधिकारी आरएस प्रजापति, श्रम निरीक्षक आरके चौहान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नवीनचंद्र वर्मा, डीपीसी अनुराग पांडे, राज्य बाल आयोग से प्रभात भट्ट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से कर्मचारी उपस्थित थे।

बालिकाएं स्वयं आगे आकर अपनी पढाई के प्रति जागरूक हो- सुश्री ऋजू बाफना

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

SPECIAL REPORT

दैनिक नर्मदा की पुकार, जिला ब्यूरो चीफ शाजापुर नरेन्द्र रिणवा की रिपोर्ट
Mob:+91 94066 45150

शाजापुर। गत दिवस सोमवार दिनांक 10-11-2025 को शाजापुर कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना की अध्यक्षता में स्थानीय गाँधी हाल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (नई) नई दिल्ली एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाओ के स्टेक होल्डर्स के उन्मुखीकरण हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला के प्रारंभ में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी द्वारा जिले में बाल अधिकारों के लिए किए गए कार्यो की जानकारी पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से दी गई और जिले में बच्चो के लिए किए जा रहे नवाचार उन्नत र्पर्ण गतिविधियों एवं ' घर में पकायेंगे - घर का खायेंगे' की जानकारी दी गई।

मध्यप्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से सहायक संचालक राहुल दुबे द्वारा किशोर न्याय बालको की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुवे, स्टेक होल्डर्स को विधि विवादित बालक और देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चो के संबंध में जानकारी देते हुवे बच्चो की मानसिक, बोद्दिक स्थिति पर प्रकाश डाला एवं सभी को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्य प्रणाली से अवगत करवाया गया। साथ ही विद्यालयों में बच्चो के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के उपायों पर प्रशिक्षण दिया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एडवोकेट शुभांकर चौधरी द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 एवं लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित समस्त स्टेक होल्डर्स को उक्त अधिनियम से पीड़ित बच्चो के लिए किये जाने वाली कार्य प्रणाली से अवगत करवाते हुवे बच्चो के अधिकारों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की डिविजन हेड बाल श्रम श्रीमती पायल शर्मा द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के प्रावधानों पर प्रकाश डाला

और बाल श्रम अधिनियम अंतर्गत बच्चों के पुनर्वास के संबंध में जानकारी दी गई। एवं प्रतिभागियों को बच्चो के अधिकारों के प्रति जागरूक किया और सभी प्रतिभागियों से बाल संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आव्हान किया।

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा बच्चो का संरक्षण करने में शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास की महती भूमिका है इसी प्रयासों के चलते बालिकाए स्वयं से आगे आकर अपनी पढाई के प्रति जागरूक हो रही है साथ ही घर में पकायेंगे- घर का खायेंगे को जन जन तक पहुचाने पोषण के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला टास्क फोर्स दल की भूमिका की समीक्षा की गई।

इस दौरान कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्रीमती मीना मंडलोई, श्रम पदाधिकारी आर. एस प्रजापति, श्रम निरीक्षक आर.के. चौहान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नवीन चन्द्र वर्मा, डी पी सी अनुराग पांडे, राज्य बाल आयोग से प्रभात भट्ट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से कर्मचारी उपस्थित रहे।

नोट:- समाचार से संबंधित सभी जिम्मेदारी रिपोर्टर की रहेगी... इससे संपादक या नर्मदा की पुकार समाचार पत्र की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। - संपादक

दैनिक भास्कर शाजापुर

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में दी अधिनियमों और नवाचारों की जानकारी

बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया

कार्यशाला के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि।

शाजापुर | स्थानीय गांधी हॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में आयोग की डिविजन हेड (बालश्रम) पायल शर्मा ने बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 की जानकारी दी और बाल संरक्षण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कलेक्टर ऋजु बाफना ने कहा बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने में सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य आयोग के सहायक संचालक राहुल दुबे ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 और विद्यालयों में बच्चों के सुरक्षित वातावरण पर प्रकाश डाला। एडवोकेट शुभांकर चौधरी ने बाल अधिकारों और पॉक्सो अधिनियम 2012 की जानकारी दी। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय त्रिपाठी ने जिले में बच्चों के संरक्षण और पोषण के लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। इस अवसर पर कार्यशाला में जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मीना मंडलोई, श्रम पदाधिकारी आरएस प्रजापति, श्रम निरीक्षक आरके चौहान, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष नवीनचंद्र वर्मा, डीपीसी अनुराग पांडे, राज्य बाल आयोग से प्रभात भट्ट एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से कर्मचारी उपस्थित थे।